RNI No. MAHBIL /2009/31730

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष १०, अंक १३] गुरुवार, जुलै ११, २०२४/आषाढ २०, शके १९४६ [पृष्ठे १२, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक २५

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक **११ जुलाई, २०२४** ई. को. पुर:स्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशन किया जाता है :—

L. A. BILL No. XX OF 2024.

A BILL

TO PROVIDE FOR MORE EFFECTIVE PREVENTION OF CERTAIN UNLAWFUL ACTIVITIES OF INDIVIDUALS AND ORGANIZATIONS AND FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक २० सन् २०२४।

व्यक्तिगत और संघठनों के कतिपय अविधिपूर्ण गतिविधियों की अधिक प्रभावी रोकथाम करने और उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करने संबंधि विधेयक।

क्योंकि व्यक्तिगत और संघठनों के कतिपय अविधिपूर्ण गतिविधियों की अधिक प्रभावी रोकथाम करने और उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक मामलों के लिये उपबंध करने हेतु नवीन विधि अधिनियमित करना इष्टकर है ; अंत: भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, २०२४ कहलाए । संक्षिप्त नाम।

परिभाषाएँ ।

२. (१) इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "सलाहकार बोर्ड" का तात्पर्य, धारा ५ के अधीन गठित सलाहकार बोर्ड, से है ;

(ख) "सरकार" का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार, से है ;

(ग) "अधिसूचना" का तात्पर्य, **राजपत्र** में प्रकाशित अधिसूचना से है और "अधिसूचित" शब्द का अर्थ तद्नुसार लगाया जायेगा ;

(घ) "संगठन" का तात्पर्य, कोई संयोजन, निकाय या व्यक्तियों का समूह चाहे किसी सुभिन्न नाम से पहचाना जाता हो या नहीं और चाहे किसी सुसंगत विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या नहीं है और चाहे किसी लिखित संगठन द्वारा प्रशासित है या नहीं है, से है ;

(ङ) "विहित" का तात्पर्य, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित से है ;

(च) "विधिविरूद्ध कार्यकलाप" का तात्पर्य, व्यक्तिगत या संगठन द्वारा किया गया कोई कृत्य चाहे कोई कृत्य घटित करके या तो कहे गये या लिखे गये शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रस्तुतीकरण द्वारा या अन्यथा या,–

(एक) जो लोक आदेश, शांति और एकता के लिए खतरा या हानि स्थापित करता है ; या

(दो) जो लोक आदेश को बनाए रखने में बाधक है या बाधा डालता है ; या

(तीन) जो विधि के प्रशासन या उसकी स्थापित संस्थाओं और उसके कार्मिकों के प्रशासन में बाधक है या बाधा डालता है ; या

(चार) जो अपराधिक बल या अपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा या अन्यथा किसी भी लोकसेवक, जिसमें राज्य सरकार या केंद्र सरकार के बल सम्मिलित है, जो ऐसे लोकसेवक की विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा हो, को आतंकित करने की रूपरेखा करने का है ; या

(पाँच) जो हिंसा, आतंकवाद विध्वंसककृत्यों में या जनता में भय और आशंका निर्माण करनेवाले अन्य कार्यों में निरत रहने या उसका प्रचार करनेवाला है या अग्न्यायुधों, विस्फोटकों या अन्य युक्तियों (डिवाइसेस) के उपयोग में निरत रहने या उन्हें प्रोत्साहित करनेवाला है या रेल, सड़क, हवा या जल द्वारा संचार साधनों को विच्छिन्न करनेवाला है ; या

(छह) जो स्थापित विधि और उसकी संस्थाओं की अवज्ञा को प्रोत्साहित करनेवाला या अवज्ञा की प्रतिपादन करनेवाला है; या

(सात) उपर्युक्त उल्लिखित किन्ही एक या अधिक विधिविरुद्ध गतिविधियों का कार्यान्वयन करने के लिए धन या माल संग्रहित करता है ;

(छ) "विधिविरूद्ध संगठन" का तात्पर्य, किसी संगठन से है, जो विधिविरूद्ध गतिविधियों को करने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निरत रहता है या जिसके उद्देश्यों के अनुसरण में किसी विधि विरूद्ध गतिविधियों को किसी भी माध्यम, युक्ति या अन्यथा अभिप्रेरित करना या सहायता देना या करना या प्रोत्साहन देना है।

किसी संगठन को विधिविरूद्ध घोषित करना।

३. (१) यदि सरकार की यह राय है कि, कोई संगठन विधिविरूद्ध संगठन है या, हो गया है, तो वह **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा ऐसे संगठन को विधिविरूद्ध संगठन घोषित कर सकेगी।

(२) प्रत्येक ऐसी अधिसूचना में वे आधार विनिर्दिष्ट किये जायेंगे जिनपर वह जारी की गई है और ऐसी अन्य विशिष्टियाँ जिसे सरकार आवश्यक समझें, विनिर्दिष्ट करेगी :

परंतु, इस उप-धारा में कोई भी बात, किसी तत्थ को प्रकट करने की सरकार से अपेक्षा नहीं करेगी, जो लोक हित के विरूद्ध समझती है।

(३) कोई ऐसी अधिसूचना तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक सलाहकार बोर्ड, ने धारा ६ के अधीन, ऐसी अधिसूचना में की गई घोषणा की पुष्टि करने का रिपोर्ट किया न हो ।

परंतु, यदि राज्य सरकार की राय यह है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण संघठन को तत्काल प्रभाव के साथ अविधिपूर्ण संघठन के रूप में घोषित किया जाना सरकार के लिये आवश्यक है, तो वह लिखित में निश्चित किए जानेवाले कारणों के लिए यह निदेश दे सकेगी कि, अधिसूचना,सलाहकार बोर्ड के किसी रिपोर्ट के अध्यधीन, जो धारा ६ के अधीन किया जा सकेगा **राजपत्र** में उसके प्रकाशन किए गए दिनांक से प्रभावी होगी ।

(४) ऐसी प्रत्येक अधिसूचना **राजपत्र** में उसके प्रकाशन के अतिरिक्त में जहाँ ऐसी विधिविरुद्ध संगठन का कोई रजिस्ट्रीकृत कार्यालय है, वहाँ रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजकर या इलेक्ट्रॉनिक उपायों द्वारा तामिल की जायेगी या ऐसे रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में किसी पदाधिकारी को अधिसूचना की प्रतिलिपि सौंपकर तामिल की जायेगी, परंतु, यदि किसी मामले में कोई पदाधिकारी उपलब्ध न हो या वह अधिसूचना प्राप्त करने से इन्कार करता है, तो उसे संगठन कार्यालय के किसी सहजदृश्य भाग पर चिपका दिया जायेगा ; और जहाँ संगठना का कोई रजिस्ट्रीकृत कार्यालय नहीं है, वहाँ अधिसूचना को राज्य में प्रचलन में होनेवाले किन्ही दो दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जायेगा।

(५) उप-धारा (२) के उपबंधों के अध्यधीन, इस धारा के अधीन जारी अधिसूचना यदि, उसमें की गई घोषणा की, धारा ६ के अधीन की गयी रिपोर्ट द्वारा सलाहकार बोर्ड द्वारा पुष्टि की है, तो जिस दिनांक पर अधिसूचना प्रभावी हुई है उस दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए शेष प्रवर्तमान रहेगी और स्थिति के पूर्ननिरीक्षण के पश्चात् जिसे आवश्यक समझा जाए, एक समय पर, एक वर्ष से अनधिक ऐसे अधिकतर अवधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी ।

(६) उप-धारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, या तो स्वप्रेरणा से या व्यथित किसी संघठन के आवेदन पर, किसी समय पर, चाहे सलाहकार बोर्ड द्वारा, उसमें की गई घोषणा पुष्टि की गई या नहीं की गई हो, इस धारा के अधीन जारी अधिसूचना का समपहरण करेगी ।

संगठन द्वारा अभ्यावेदन।

४. (१) धारा ३ के अधीन विधिविरुद्ध घोषित किया गया कोई संगठन, अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से या उसकी प्राप्ति के दिनांक से या धारा ३ की उप-धारा ४ में विनिर्दिष्ट रीत्या उसके चिपकाए जाने के दिनांक से इनमें जो भी पश्चात्वर्ती हो, पंद्रह दिनों के भीतर सरकार को अभ्यावेदन भेज सकेगा, और सरकार ऐसा अभ्यावेदन सलाहकार बोर्ड के समक्ष, उसके विचारार्थ रखा जायेगा ।

(२) ऐसा संगठन सलाहकारी बोर्ड के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई करने के लिये निवेदन कर सकेगा।

सलाहकारी बोर्ड का गठन।

५. (१) राज्य सरकार, जब कभी आवश्यक हो, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सलाहकार बोर्ड का गठन करेगी।

(२) सलाहकार बोर्ड, ऐसे तीन व्यक्तियों से मिलकर गठित होगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है या रह चुके हैं के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए अर्ह है । सरकार, सदस्यों की नियुक्ति करेगी, और उनमे से एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में पदभिहित करेगी।

(३) अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और अन्य शर्तें ऐसी होंगी जिसे राज्य सरकार द्वारा विहित किया जा सकेगा।

सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया।

६. (१) जहाँ धारा ३ के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा कोई संघठन विधिविरूद्ध घोषित किया है, सरकार, **राजपत्र** में ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से छह सप्ताह के भीतर सलाहकार बोर्ड को निर्देश करेगी और उसके समक्ष अधिसूचना की एक प्रतिलिपि, के इसके समर्थन में सामग्री और विधिविरुद्ध संघठन से प्राप्त अभ्यावेदन यदि कोई हो उसके विचारार्थ रखेगी।

(२) सलाहकार बोर्ड, अपने समक्ष रखी गयी सभी सामग्री पर विचार करने के पश्चात् और सरकार से या संबंधित संगठन के किन्हीं पदाधिकारी से या सदस्यों से अधिकतर जानकारी, यदि आवश्यक हो, मँगाने के पश्चात् और संगठन के प्राधिकृत पदाधिकारियों को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, सरकार से निर्देश प्राप्त होने के दिनांक से तीन महीने के भीतर सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(३) जहाँ संगठन व्यक्तिगत सुनवाई चाहता है, वहाँ सुनवाई का दिनांक और समय की सूचना विनिर्दिष्ट करके संगठन के अभ्यावेदन में उल्लिखित किए गए पते पर भेजी जायेगी।

(४) सलाहकार बोर्ड, चाहे को संघठन अविधिपूर्ण होने की घोषणा के लिए पर्याप्त कारण है या नहीं हैं का विनिश्चय करेगी और या तो अधिसूचना या में की गई घोषणा की पृष्टि करने या उसे रद्द करने, जिसे वह ठिक समझे, ऐसा रिपोर्ट बनाएगी ।

(५) अधिकरण को, इस अधिनियम के अधीन जाँच करने के प्रयोजन के लिए निम्न मामलों के संबंध में वही शक्तियाँ होगी, जो सिविल प्रक्रिया की संहिता, १९०८ के अधीन वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित है, अर्थात् :– सन् १९०८ का ५।

(क) किसी साक्षी को समन्स भेजना और उसे उपस्थित रहने के लिए प्रवृत्त करना तथा शपथ पर उसका परीक्षण करना ;

(ख) साक्ष के रूप में प्रस्तुत किए जानेवाले किसी दस्तावेज या अन्य सामग्री की खोज करना और निर्माण करना ;

(ग) शपथपत्र पर साक्ष प्राप्त करना ;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किन्ही लोक अभिलेख की माँग करना ;

(ड़) साक्षी की जाँच करने के लिए कोई कमीशन जारी करना ।

सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर कार्यवाही।

७. (१) यदि सलाहकार बोर्ड अधिसूचना की अधीन कि गई घोषणा की पुष्टि करता है तो सरकार के आदेश द्वारा अधिसूचना की पुष्टि करेगी और उसे धारा ३ की उप-धारा (५) में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी अवधि के लिए निरंतर रखेगी ।

(२) ऐसे किसी मामले में, जहाँ सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट है कि, उसकी राय में यथा उपर्युक्त अधिसूचना जारी करने के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं है तो वहाँ सरकार, अधिसूचना को तत्काल प्रतिसंहत करेगी।

शस्तियाँ।

८. धारा ३ के अधीन विधिविरुद्ध कोई संगठन घोषित करने के पश्चात् कोई व्यक्ति,—

(१) विधिविरुद्ध संगठन का सदस्य है या किसी ऐसे संगठन की बैठकों में या गतिविधियों में भाग लेता है या ऐसे किसी संगठन के प्रयोजन के लिए कोई अंशदान करता है या उसके लिए कोई कोई अंशदान प्राप्त करते है या उसकी मांग करता है तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जिससे तीन वर्षों तक बढ़ाया जा सके, दण्डित किया जायेगा और तीन लाख रुपयों तक के जुर्माने के लिए भी दायी होगा।

(२) जो कोई किसी विधिविरुद्ध संगठन का सदस्य न होते हुए किसी भी तरह से ऐसे संगठन के लिए कोई अंशदान करता है या उसके लिए कोई अंशदान प्राप्त करता है या किसी अंशदान की मांग करता है या ऐसे संगठन के लिए सहायता लेने या ऐसे संगठन के किसी सदस्य को आश्रय देता है तो वह ऐसी अवधि के कारावास से जो दो वर्षों तक बढ़ाया जा सके, दण्डित किया जायेगा और दो लाख रुपयों तक के जुर्माने के लिए भी दायी होगा।

(३) जो कोई किसी ऐसे विधिविरुद्ध संगठन का प्रबंधन करता है या प्रबंधन मे सहयोग करता है या किसी ऐसे संगठन कि किसी बैठक या उसके किसी सदस्य को बढ़ावा देता है या सहयोग करता है, या किसी रीत्या चाहे किसी माध्यम या साधन के ज़रिए उसके किसी सदस्य को समर्थन या सहयोग करने पर तीन वर्षों तक बढ़ाए जा सके ऐसे कारावास से दण्डित किया जायेगा और तीन लाख रुपयों तक के जुर्माने के लिए भी दायी होगा।

(४) जो कोई किसी विधिविरुद्ध संगठन के किसी विधिविरुद्ध गतिविधियों को घटित करता है या दुष्प्रेरणा करता है या घटित करने के प्रयास करता या घटित करने की योजना बनाता है वह ऐसे अवधि के कारावास जिसे सात वर्षों तक बढ़ाया जा सके, से दण्डित किया जायेगा और पाँच लाख रुपयों तक के जुर्माने के लिए भी दायी होगा।

विधिविरुद्ध गतिविधियों के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाये जानेवाले स्थानों को अधिसूचित करने और कब्जे में लेने की शक्तियाँ ।

९. (१) जहाँ संगठन धारा ३ के अधीन विधिविरुद्ध घोषित किया गया है, वहाँ जिला मॅजेस्ट्रेट या, यथास्थिति, पुलिस आयुक्त उनके संबंधित अधिकारिता के भीतर कोई स्थान, जो उनकी राय में ऐसे विधिविरुद्ध संगठन की गतिविधियों के लिए उपयोग में लाया जाता है को अधिसूचित कर सकेगा।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिए, स्थान जिसमें मकान, भवन या उसका भाग या तम्बू या जलयान भी सम्मिलित है ।

(२) जहाँ कोई स्थान उप-धारा (१) के अधीन कोई स्थान, अधिसूचित किया जाता है, तो जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा लिखित में इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी अधिसूचित किए गए स्थान का कब्जा ले सकेगा और उसके अंदर पाए गए किसी भी व्यक्ति को उस स्थान से बेदखल कर सकेगा तथा जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त कब्जा लिए जाने का रिपोर्ट सरकार को तत्काल करेगा।

परंतु, जहाँ ऐसे स्थान में कोई ऐसा अपार्टमेंन्ट अंतर्विष्ट है जो महिलाओं या बच्चों द्वारा अधिभोगित है, वहाँ उन्हे यथा संभव न्यूनतम यथोचित समय असुविधा के साथ हटने के लिए युक्तियुक्त समय और सुविधा दी जायेगी।

(३) जहाँ अधिसूचित स्थान का कब्जा धारा (२) के अधीन ले लिया जाता है तो सरकार के कब्जे में उस समय तक जब धारा ३ के अधीन जारी की गयी अधिसूचना प्रवृत्त बनी रहती है या ऐसी पूर्वतर कालावधि के लिए जैसा कि सरकार विनिश्चय करे, बना रहेगा।

अधिसूचित स्थान में पाई गई सम्पत्ति।

१०. (१) जिल्हा मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी अधिसूचित स्थान का कब्जा लेते समय उस स्थान में पाई गई है जिसके अंतर्गत, धन प्रतिभूतियाँ या अन्य आस्तियाँ समेत जंगम सम्पत्ति का भी कब्जा लेगा और दो प्रतिष्ठित साक्षियों की उपस्थिति में उसकी एक सूची बनाएगा।

(२) यदि जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त की यह राय हो कि, सूचि में विनिर्दिष्ट की गयी कोई वस्तु विधिविरुद्ध संगठन के प्रयोजनों के लिए है या उनके लिये उपयोग में लाई जा सकती है या उनकी सहायता के लिए है तो वह इस धारा में इसके पश्चात् के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए ऐसी वस्तुएँ सरकार को समपहृत किये जाने संबंधी कार्यवाही का आदेश दे सकेगा।

(३) सूचि में विनिर्दिष्ट समस्त अन्य वस्तुएँ, ऐसे व्यक्ति को परिदत्त की जायेगी, जिसे जिल्हा मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त उसके कब्जे के लिए हकदार समझे और यदि ऐसा व्यक्ति उसका हकदार नही पाया जाए तो उसका व्ययन ऐसे रीति में किया जायेगा जैसा कि वह निर्देश दे ।

(४) जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त, ऐसी वस्तुओं, को जो समपहृत किये जाने के लिए प्रस्तावित है, विनिर्दिष्ट करते हुए और किसी ऐसी व्यक्ति जो यह दावा करता है कि कोई वस्तू समपहृत किये जाने के लिये दायी नहीं है तो कोई अभ्यावेदन, जिसे वह वस्तु के समपहरण के विरुद्ध करना चाहता है, सूचना के प्रकाशन के दिनांक से पंद्रह दिन के भीतर लिखित में पेश करने की अपेक्षा करते हुए एक सूचना दो स्थानीय समाचारपत्रों में प्रकाशित करेंगे जिसमें से एक मराठी भाषा का समाचार पत्र होगा, और एक राज्य व्यापक समाचारपत्र में, और ऐसी सूचना की एक प्रतिलिपि उस स्थान के किसी सहजदृश्य भाग पर भी जहाँ से ऐसी सम्पति का कब्जा लिया गया था, चिपकाई जायेगी।

(५) जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त अभ्यावेदन पर विचार करेगा और ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा कि वह उचित समझे । यदि वस्तु को समपहत किये जाने का विनिश्चय किया जाता है तो वह उसके लिए कारण भी देगा।

(६) उप-धारा (५) के अधीन बनाएगये समपहरण के किसी आदेश के विरुद्ध वह व्यक्ति, जिसने अभ्यावेदन किया था, आदेश की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिनों के भीतर सरकार को अपील दाखिल कर सकेगा। सरकार, अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, जैसा कि वह उचित समझे ऐसा आदेश पारित कर सकेगी। सरकार का ऐसा आदेश अंतिम होगा।

(७) सरकार किसी समय पर, **स्वप्रेरणा से** उप-धारा (५) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त द्वारा या पारित किये गये किसी आदेश की वैधता, शुद्धता या उसके औचित्य के बारे में अपने स्वयं का समाधान करने के प्रयोजन के लिए उसके निदेशन में अभिलेख मंगा सकेगी तथा अभिलेख का परिक्षण करेगी और ऐसे निर्देश का कोई आदेश पारित कर सकेगी, जैसा कि वह उचित समझे।

(८) यदि अभिग्रहीत की गई वस्तू पशुधन है या विनश्वर प्रकृति की है तो जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त, यदि वह ईष्टकर समझे उसके तुरंत विक्रय का आदेश दे सकेगा और विक्रय की प्रक्रिया का अन्य वस्तुओं के निपटान करने के लिए, इसमें उपबंधित रीत्या, निपटान किया जायेगा।

किसी विधि विरूद्ध संगठन की निधियों का समपहरण करने की शक्ति ।

११. (१) जहां सरकार का ऐसी जाँच करने के पश्चात्, जैसी कि वह उचित समझे, यह समाधान हो जाता है कि किन्हीं धन, प्रतिभूतियों या अन्य आस्तियों का किसी विधि विरुद्ध संघटन के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा रहा है, या उनका प्रयोग किया जाना आशयित है तो सरकार, लिखित आदेश द्वारा यह घोषणा कर सकेगी कि ऐसा धन या प्रतिभूतियाँ या अन्य आस्तियाँ, चाहे वे जिस किसी की हो, सरकार को समपहृत हो जाने की घोषणा कर सकेगी।

(२) उप-धारा (१) के अधीन आदेश की एक प्रति ऐसे व्यक्ति को, जिसकी अभिरक्षा में ऐसा धन, ऐसी प्रतिभूतियाँ या अन्य आस्तियाँ है तामिल की जा सकेगी और ऐसी प्रति के तामील होने पर ऐसा व्यक्ति सरकार के आदेश से धन का भुगतान करेगा तथा प्रतिभूतियाँ या अन्य अस्तियाँ परिदत्त करेगा।

परन्तु, धन या प्रतिभूतियों के मामले में आदेश की एक प्रतिलिपि ऐसे अधिकारी को जिसका सरकार चयन करे, निष्पादन के लिए पृष्ठांकित की जा सकेगी और ऐसे अधिकारी को किसी ऐसे परिसर में जहां ऐसे धन या प्रतिभूतियों के होने का युक्तियुक्त रूप में संदेह हो, प्रवेश करने तथा तलाशी लेने और उनका अभिग्रहण करने की, शक्ति होगी।

(३) सरकार, उप-धारा (१) के अधीन समपहरण का आदेश होने के पूर्व, ऐसे व्यक्ति को, यदि कोई हो, जिसकी धन या अभिरक्षा में प्रतिभूतियाँ या अन्य आस्तियाँ पाई जाती है, समपहृत करने के अपने आशय की लिखित सूचना देगी और ऐसा व्यक्ति सूचना की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भितर समपहरण के प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध सरकार को अभ्यावेदन कर सकेगा। सरकार प्रभावित व्यक्ति से प्राप्त अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित करेगी जैसा कि वह उचित समझे।

(४) जहाँ सरकार का विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति की अभिरक्षा में ऐसा कोई धन या प्रतिभूतियाँ या अन्य आस्तियाँ हैं जिनका उपयोग किसी विधि विरुद्ध संघटन के प्रयोजन के लिए किया जा रहा है या जो ऐसा उपयोग किये जाने के लिए आशयित है, वहाँ सरकार, उस स्थिति के सिवाय जबकि ऐसा धन या ऐसी प्रतिभूतियों या ऐसी आस्तियों का भूगतान, परिदान अंतरण या संव्यवहार सरकार के किसी लिखित आदेश के अनुसार हों, ऐसे व्यक्ति को उस धन, उस प्रतिभूतियों या आस्तियों का भुगतान करने, उनका परिदान करने, अंतरण करने या उनके संबंध में किसी भी रीति में, चाहे जो भी हो, कोई संव्यवहार करने से प्रतिषिद्ध कर सकेगी, ऐसे आदेश की एक प्रत उस व्यक्ति पर तामील की जायेगी जिसे कि वह निदेशित है।

(५) सरकार उप-धारा (४) के अधीन आदेश की एक प्रतिलिपि ऐसे अधिकारी को, जिसका वह चयन करे, अन्वेषण के लिए पृष्ठांकित कर सकेगी और ऐसी प्रतिलिपि वारंट समझी जायेगी जिसके अधीन ऐसा अधिकारी उस व्यक्ति के, जिसे कि आदेश में निर्देशित किया गया है, किन्हीं परिसरों में प्रवेश कर सकेगा, ऐसे व्यक्ति की या किसी अधिकारी, अभिकर्ता या सेवक या ऐसे व्यक्ति की पुस्तकों की परिक्षा कर सकेगा, धन या प्रतिभूतियों की तलाशी ले सकेगा और ऐसे व्यक्ति से ऐसे धन, प्रतिभूतियों या अन्य आस्तियों के, जिनके बारे में अन्वेषण अधिकारी को यह संदेश हो कि वे किसी विधि विरुद्ध संगठन के लिए उपयोग की जा रही है या जो ऐसे उपयोग किए जाने के लिए आशयित है, संबंध में उनके स्रोत और संव्यवहारों तक पहुचने के लिए जाँच कर सकेगा।

(६) इस धारा के अधीन आदेश की एक प्रतिलिपि उसी रीति में तामील की जा सकेंगी जो समन की तामील के लिए संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ में उपबंधित है या जहां ऐसा व्यक्ति, जिसे तामील की जाना है, कोई निगम, कम्पनी, बँक या व्यक्तियों का संगठन है, वहाँ उसके किसी सचिव, सन् २०२३ का ४६।

निदेशक या उसके प्रबंधन से संबंधित अधिकारी या व्यक्ति पर या निगम, कम्पनी, बँक या संघटन को उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर या जहाँ कोई रजिस्ट्रीकृत कार्यालय नहीं है वहा उस स्थान पर, जहाँ कारबार चलाया जा रहा है, पहुँचाकर या डाक द्वारा भेजकर तामील की जा सकेगी। जहां सरकार का किन्ही परिस्थिति में यह समाधान हो जाता है कि, ऐसी प्रक्रिया अपनाना युक्तायुक्त व्यवहार्य नहीं है तो वह किसी स्थानीय समाचारपत्र में आदेश प्रकाशित किए जाने का कारण बन सकेगी।

(७) जहाँ कोई धन, प्रतिभूति या अन्य अस्तियों जिसके बारे में, उप-धारा ४ के अधीन प्रतिषेधात्मक आदेश बनाया गया है, के बारे में समपहरण का आदेश उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया है तो समपहरण का ऐसा आदेश प्रतिषेधात्मक आदेशों के दिनांक से प्रभावी होगा और वह व्यक्ति, जिससे प्रतिषेधात्मक आदेश निदेशित किया था, सरकार के आदेश में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को समपहत् सभी धन, प्रतिभूतियाँ या अन्य आस्तियों की संपूर्ण अदायगी या परिदान करेगा ।

(८) जहाँ कोई व्यक्ति, जो सरकार के आदेशित व्यक्ति को धन, प्रतिभूतियों या अन्य आस्तियों का भूगतान करने और परिदान करने का इस धारा के अधीन दायी है, सरकार के इस निमित्त किसी निदेशन का पालन करने से इन्कार करता है या उसमें पालन में असफल रहता है तो सरकार ऐसे व्यक्ति से ऐसे धन की रकम या अन्य वित्तीय आस्तियाँ या ऐसी प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य भू-राजस्व के बकाया के तौर पर या जुर्माने के रूप में वसूल कर सकेगी।

(९) इस धारा में प्रतिभूति में सम्मिलित हैं ऐसा कोई दस्तावेज जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह अभिस्वीकार करता है कि, वह धन का भुगतान करने के विधिक दायित्व के अधीन हैं या जिसके अधीन कोई व्यक्ति धन के भुगतान का विधिक अधिकार अभिप्राप्त करता है और किसी प्रतिभूति का बाजार मूल्य से अभिप्रेत है वह मूल्य जो सरकार द्वारा इस निमित्त प्रतिनियुक्ति किए गए किसी अधिकारी या व्यक्ति द्वारा यथा नियत मूल्य से है।

(१०) सिवाय उस जानकारी के जहाँ तक वह इस धारा के अधीन किसी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए आवश्यक है, उप-धारा (५) के अधीन किसी अन्वेषण के दौरान अभिप्राप्त की गई कोई जानकारी सरकार उसके किसी अधिकारी द्वारा सम्मति के बिना प्रकट नहीं की जायेगी।

(११) सरकार इस धारा के अधीन अपनी शक्तियों को किसी जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त से अनिम्न श्रेणी के किसी अधिकारी को आदेश द्वारा प्रत्यायोजित कर सकेगी और उसी प्रकार उनका प्रत्याहरण कर सकेगी।

(१२) सरकार, किसी भी समय या तो **स्वप्रेरणा से** या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर जिसने अभ्यावेदन किया है जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उप-धारा (१) के अधीन पारित किए गए किसी आदेश की वैधता, शुद्धता या उसके औचित्य के बारे में स्वयं का समाधान करने के प्रयोजन के लिए अभिलेखों को मंगा सकेगी और उनकी परीक्षा कर सकेगी और उसके संबंध में ऐसे आदेश पारित कर सकेगी, जैसा कि वह उचित समझे :

परन्तु, इस उप-धारा के अधीन कोई भी आदेश सरकार द्वारा तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि उस पक्षकार को, जिसके की उसके प्रभावित होने की संभावना है, अभ्यावेदन करने का अवसर न दे दिया गया हो।

पुनरीक्षण।

१२. (१) सरकार द्वारा धारा ७ की उप-धारा (१) के अधीन पारित किए गए किसी ऐसे आदेश के विरुद्ध, जिसमें धारा ३ की, उप-धारा (१) के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना की पुष्टि की गई है या जिसमें धारा ३ की, उप-धारा (५) के अधीन पारित किए गए किसी आदेश के विरुद्ध जिसमें अधिसूचना की कालावधि में वृद्धि की गई है या धारा ११ की उप-धारा (१) के अधीन समपहृत के किसी आदेश के विरुद्ध, जिसमें उसकी वैधता, शुद्धता या औचित्य को प्रश्नगत किया गया है, पुनरीक्षण के लिए आवेदन उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जायेगा।

(२) इस धारा के अधीन पुनरीक्षण याचिका उप-धारा (१) में निर्दिष्ट किसी आदेश की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन दिनों की कालावधि के भीतर प्रस्तुत की जायेगी।

अधिसूचित स्थानों पर अतिचार।

१३. ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किए गए किसी अधिकारी की अनुज्ञा के बिना अधिसूचित क्षेत्र में प्रवेश करता है या उसमें बना रहता है तो उसके संबंध में यह समझा जायेगा कि उसने आपराधिक अतिचार का अपराध किया है।

अधिकारिता का वर्जन।

१४. इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय और भारत के संविधान के अधीन उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की अधिकारिता तथा शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सरकार द्वारा या जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त द्वारा या सरकार या जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किए गए किसी अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाहियों की किसी वाद या कार्यवाही या आवेदन में या अपील या पुनरीक्षण के रूप में किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्यवाही के बारे में किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई व्यादेश अनुदत्त नहीं किया जायेगा।

सद्भावपूर्वक की गई कारवाई का संरक्षण।

१५. इस अधिनियम के अधीन सद्भावना पूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के होते हुए भी किसी व्यक्ति या सरकार या सरकार की और से या, के प्राधिकरण द्वारा कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरूद्ध, किसी सम्पत्ति जिसका कब्जा इस अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा लिया गया है, के बारे में या कोई हानि या क्षति होने से कोई सिविल या दाण्डिक प्रक्रिया संस्थित नहीं की जायेगी ।

अपराधों का संज्ञान और अनुसंधान।

१६. (१) इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होंगे।

(२) इस अधिनियम के अधीन सभी अपराधों की विवेचना उप-निरीक्षक से अनिम्न श्रेणी के पुलिस अधिकारी द्वारा की जायेगी ।

(३) इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध घटित या दुष्प्रेरित या घटित करने का प्रयास या घटित करने की रूपरेखा प्रदर्शित करने के संबंधित क्षेत्र के पुलिस उप-महा निरिक्षक जो जाँच अधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट किया है, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार मामले की जाँच करेगा, की लिखित अनुमति के अधीन पंजीबद्ध नहीं किऐ जायेंगे ।

(४) कोई भी न्यायालय ऐसे किसी अपराध का अप्पर पुलिस महा निदेशक से अनिम्न श्रेणी के किसी अधिकारी की रिपोर्ट के बिना, संज्ञान नहीं लेगा।

संगठन का अस्तित्व।

१७. किसी संगठन को मात्र विघटन या शीर्षक परिवर्तन के किसी औपचारिक कार्य या किसी मौखिक या लिखित घोषणा द्वारा यह नहीं समझा जायेगा कि, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया है परन्तु, ऐसे संगठन या उसके किसी सदस्य का अस्तित्व तब तक समझा जायेगा जब तक कि वह वास्तविक रूप से विधि विरुद्ध क्रियाकलाप में जुड़ा हो या उसे निरंतर रखता हो।

नियम बनाने की शक्ति।

१८. (१) सरकार **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के समस्त या किन्ही प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा, जो कि चाहे एक सत्र में हो या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में हो, और यदि, उस सत्र के, जिसमें उसे इस प्रकार रखा गया हो, या ठिक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व, दोनों सदन नियम में परिवर्तन करने के लिए, सहमत हों कि नियम न बनाया जाये, और उस प्रभाव का अपना विनिश्चिय **राजपत्र** में अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से, ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या, यथास्थिति, निष्प्रभावी हो जाएगा; तथापि, ऐसा कोई परिवर्तन या बातिलीकरण उस नियम के अधीन पहले की गई या किये जाने से छोडी गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य।

नक्सलवाद का खतरा केवल नक्सल प्रभावित राज्यों के दूरदराज क्षेत्रों तक ही सिमित नहीं रहा है, बल्कि नक्सली संगठनों के ज़रिए शहरी क्षेत्रो में भी बढ़ गया है। नक्सल समूहों के सक्रिय अग्र-भागी संगठनों का प्रसार उनके सशस्त्र संवर्ग को आर्थिक रसद और सुरक्षित शरण के मामले में निरंतर और प्रभावी सहायता प्रदान करता है। महाराष्ट्र राज्य के शहरों में माओवादी नेटवर्क के "सुरक्षित मकान" और "शहरी ठिकाने" नक्सलियों के जब्त किये गये सामानों से दर्शाये गये हैं। नक्सली संगठनों या उसी प्रकार के संगठनों के क्रियाकलाप उनके संयुक्त मोर्चे के ज़रिए आम जनता के बीच अशांति का सृजन कर रहे हैं, ताकि संविधानिक जनादेश के विरूद्ध सशस्त्र विद्रोह की अपनी विचारधारा का प्रचार किया जा सके और राज्य में सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित किया जा सके।

२. ऐसे अग्र-भागी संघठनों के विधिविरूद्ध क्रियाकलापों को कानूनी मार्गों से नियंत्रित करने की आवश्यकता है। विद्यमानत: नक्सलवाद के इस खतरे से निपटने के लिये प्रभावी और अपर्याप्त कानून है।

गृह कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने समय-समय से, विभिन्न बैठको में शहरी क्षेत्रों में ऐसे संगठनों की गतिविधियों का मुकाबला करने और उन्हें प्राप्त होनेवाले निधि को रोकने के लिये कार्यान्वयन यंत्रना के लिये निर्देश जारी किये गये है। गृह मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवाद (एल डब्ल्यू ई) नक्सल प्रभावित राज्यों को सुरक्षा संबंधी खर्च के लिये मार्गदर्शन में नक्सली संगठनों या उसी तरह के संगठनों की विधिविरूद्ध गतिविधियों से निपटने के लिये राज्य द्वारा विधिविधान अधिनियमित करने की सलाह दी है।

३. छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में ऐसे संगठनों की विधिविरुद्ध गतिविधियों की अधिक प्रभावी रोकथाम के लिए, सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम अधिनियमित हुआ हैं और ४८ अग्रभागी संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। महाराष्ट्र राज्य में इसी तरह के विधि के अभाव में ऐसे संघठन राज्य में सक्रीय है। इसलिए, महाराष्ट्र सरकार, नक्सल प्रभावित राज्यों द्वारा अधिनियमित जन सुरक्षा अधिनियमों की तर्ज पर, ऐसे संगठनों की विधिविरुद्ध गतिविधियों की अधिक प्रभावी रोकथाम करने के हेतू एक विशेष विधि अधिनियमित करना इष्टकर समझती है।

४. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

मुंबई,
दिनांकित ९ जुलाई, २०२४।

देवेंद्र फडणवीस,
उप मुख्यमंत्री।

प्रत्यायुक्त विधान संबंधी ज्ञापन

प्रस्तुत विधेयक में विधायी शक्ति के प्रत्यायोजनार्थ निम्न प्रस्ताव अंतर्ग्रस्त है, अर्थात् :—

खण्ड ३ (१).— इस खण्ड के अधीन, राज्य सरकार को **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, विधिविरूद्ध होनेवाले किसी संघठनों को घोषित करने की, शक्ति प्रदान की गई है ।

खण्ड ५(३).— इस खण्ड के अधीन, राज्य सरकार को, सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के सेवा के निबंधन और अन्य शर्तें नियमों द्वारा विहित करने की, शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड ९ (१).— इस खण्ड के अधीन, जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त को, कोई स्थान जो उनकी राय में, विधिविरुद्ध संगठनों की गतिविधियों के लिए उपयोग में लाया जाता है, अधिसूचित करने की, शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड १८(१).— इस खण्ड के अधीन, राज्य सरकार को, **राजपत्र** में अधिसूचना जारी करके इस अधिनियम के प्रयोजनों का प्रभावी कार्यान्वयन करने के लिए नियम बनाने की, शक्ति प्रदान की गई है।

२. विधायीशक्ति के प्रत्यायोजन के लिए उपरोल्लिखित प्रस्ताव सामान्य स्वरूप के है।

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खण्ड ५ सलाहकार बोर्ड, जो तीन सदस्यों से मिलकर गठित होता है के गठन के लिए उपबंध करता है और राज्य सरकार द्वारा जैसा कि विहित किया जाए, अध्यक्ष और सदस्यों के, सेवा के निबंधन और अन्य शर्तों के लिए भी उपबंध करता है।

विधेयक, राज्य विधानमंडल के अधिनियम के रूप में उसकी अधिनियमिति पर, सलाहकार बोर्ड के गठन के लिए राज्य की समेकित निधि में से आवर्ती व्यय अर्न्तग्रस्त हो सकेगा। तथापि, इस चरण पर, वास्तविक आवर्ती व्यय का प्राक्कलन देना जो इसनिमित्त उपगत करना संभव नहीं है।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

भारत संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल की अनुशंसा

(महाराष्ट्र शासन, विधि व न्याय विभाग, आदेश की प्रत)

भारत संविधान के अनुच्छेद २०७ के खंड (३) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक, २०२४ ई. पर विचार करने की अनुशंसा करते है ।

विधान भवन :
मुंबई,
दिनांकित ११ जुलाई, २०२४।

जितेंद्र भोळे,
सचिव (१) (कार्यभार),
महाराष्ट्र विधानसभा ।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004
EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.